न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 32 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. गोहम्मद अली पुत्र तालब
2. गोमन पुत्र तालब जाति मुसलमान निवासी रोड़वा जिला बाड़मेर

बनाम 1.बशीर अहमद पुत्र सलीम
2.तालब पुत्र सलीम
3.उमत पत्नी सलीम जाति मुसलमान निवासी रोड़वा तहसील रोड़वा जिला बाड़मेर
4.ईशाक पुत्र सरीफ खां जाति मुसलमान निवासी रासवानी तहसील रामसर
5.श्रीमान तहसीलदार सेड़वा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 53 / 2021 बअनवान गोहम्मद अली बनाम बशीर अहमद वगै. में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11.03.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री मुकेश जैन अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री केसराराम विश्नोई रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 28.07.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। मौजा सेड़वा तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्याा 170 रकवा 17.08 वीघा भूमि अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि में अपीलांट / वादीगण व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्से के अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा इसी हिस्से माफिक अपीलांट व रेस्पोडेंटस का अपीलाधीन आराजी पर काविज है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर रहवासी ढाणी, चारागाह, पशु वाड़े एवं टांके टयूववेल बने हुए। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ नयायायल द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये विना पारित की गई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर वहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी वहस में वताया कि अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष हस्तगत वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण / रेस्पोडेंट को नोटिस जारी हुए लेकिन वावजूद तलवी के रेस्पोडेंटस की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 01.12.2021 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गई तथा वादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के पश्चात दिनांक 01.12.2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई, तत्पश्चात दिनांक 29.12.2021 को प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से प्रार्थना–पत्र के अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली जबाव हेतु दिनांक 18.01.2022 को मुर्कर की गई। रेस्पोडेंटस की ओर से दिनांक 24.03.2022 को एक प्रार्थना–पत्र त्वरित सुनवाई का व पत्रावली पेशी पर लेने का प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली दिनांक 24.03.2022 की जगह 11.03.2022 को मुकर्रर की गई। रेस्पोडेंटस द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र आदेश 09 नियम 13 को विड्रो किये जाने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन दिनांक 11.03.2022 को रेस्पोडेंटस के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सेड़वा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सेड़वा द्वारा वादग्रस्त खेत पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/प्रतिवादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपीलांट व उसके अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर एतराज किया गया। अपीलांटगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर एतराज करने के बावजूद भी अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार सेड़वा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यंह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट संख्या 01 ने हाजा न्यायालय के समक्ष अपील को विड्रो करने के संबंध में एक आवेदन दिनांक 15.06.2022 को पेश किया जिस पर मेरा एतराज है, उसके उपरांत न्यायालय उस आवेदन को स्वीकार करता है तो न्यायालय का विवके है लेकिन मेरी अपील तो भी फिर भी चलेगी। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

RRT 2014(1) Page 258
RRT 2017(1) Page 689

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि तहसीलदार सोड़वा द्वारा मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट संख्या 01 स्वयं ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जाहिर किया कि वह अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट है तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अपील चलाना नहीं चाहता तथा अपील को विड्रो करने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट संख्या 01 स्वयं ने दिनांक 15.06.2022 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र वास्ते अपीलांट संख्या 01 के हिस्से तक अपील विड्रो करने बाबत पेश कर अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि "अपीलांट संख्या 01 द्वारा उपरोक्त अनवान की कोई अपील श्रीमानजी के सक्षम पेश नहीं की गई थी तथा अपीलांट संख्या 01 आज से पूर्व कभी भी श्रीमान न्यायालय में हाजिर भी नहीं हुआ हैं तथा अपीलांट संख्या 02 जो अपीलांट संख्या 01 का सगा भाई है, ने सदभाविक रूप से मुझ अपीलांट संख्या 01 से खाली पेपरों पर हस्ताक्षर करवा लिये तथा उन पर अपीलांट संख्या 02 ने अपने साथ मेरी तरफ से भी अपील पेश कर दी जबकि यह अपील अपीलांट संख्या 01 द्वारा कभी भी पेश नहीं की गई है। उतरदाता द्वारा जब मुझे इस संबंध मे बताया तब मुझे अपील के संबंध में जानकारी हुई, मै अपीलांट संख्या 01 अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट हूँ तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपील चलाना नहीं चाहता हूँ।" तथा अपील को इसी स्तर पर विड्रो करने का निवेदन किया गया। लिहाजा अपीलांट संख्या 01 के हिस्से तक अपील को विड्रो करने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट संख्या 02 को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय प्राप्त विभाजन प्रस्ताव बाकायदा तहसीलदार सेड़वा ने नियमानुसार भूमि की गुणवत्ता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश किया, जिस पर दिनांक 11.03.2022 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त अपीलांट मौके पर उपस्थित रहे लेकिन हस्ताक्षर करने से इंकार किया। हस्तगत विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट संख्या 02 येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 53/2021 बउनवान मोहम्मद अली बनाम बशीर अहमद वगै. में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11.03.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रमिल मालिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर